राजस्थान विश्वविद्यालय,
जवाहर लाल नेहरू मार्ग, जयपुर–302004
फोन नं. 0141–2708824, 2256670

क्रमांकः– परीक्षा– III-A/R.E/2026/ दिनांक

पुनर्मूल्यांकन / पुनर्गणना / सुचना का अधिकार अधिनियम–2005 आवेदन संबंधी सूचना

विश्वविद्यालय परीक्षा–2026 (सत्र 2025–26 में आयोजित परीक्षायें) स्नातक सेमेस्टर परीक्षा दिसम्बर–2025 व मई–2026 (**NEP 2020**) स्नातक वार्षिक–2026, स्नातकोत्तर तथा व्यावसायिक सेमेस्टर परीक्षा दिसम्बर–2025 व मई–2026 एवं वार्षिक पद्धति आधारित पाठ्यक्रम–2026 के परीक्षा परिणाम जारी किए जा रहे हैं, जो परीक्षार्थी उत्तरपुस्तिका के पुनर्मूल्यांकन / पुनर्गणना / सूचना के अधिकार अधिनियम–2005 के तहत् उत्तरपुस्तिका की प्रमाणित प्रति प्राप्त करने हेतु आवेदन करना चाहते हैं, वे विश्वविद्यालय नियमानुसार परीक्षा परिणाम जारी होने के पश्चात् 15 दिवस के भीतर वेबसाईट **www.univraj.org** तथा **NEP** के परीक्षार्थी **NEP Portal** पर ऑनलाईन आवेदन कर सकते हैं, ऐसे परीक्षार्थी जिनका परीक्षा परिणाम **RW-EX/RW-EN/RL and Ordinance** के **Remarks** के साथ प्रदर्शित हो रहा हैं, उन्हें भी इन्हीं निर्धारित तिथियों के दौरान उक्त वेबसाईट पर दिए गए पुनर्मूल्यांकन लिंक पर जाकर अपने प्राप्तांको को देखकर आवेदन करना होगा। ऑनलाईन आवेदन करने की तिथि समाप्त होने के पश्चात् पुनर्मूल्यांकन / पुनर्गणना एवं सूचना के अधिकार अधिनियम–2005 के तहत् उत्तरपुस्तिका की प्रमाणित प्रति प्राप्त करने हेतु आवेदन के लिए कोई अवसर प्रदान नहीं किया जायेगा।

-Sd-
परीक्षा नियंत्रक

क्रमांकः– परीक्षा– III-A/R.E/2026/754-763 दिनांक 17.4.2026

प्रतिलिपि निम्न को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रस्तुत हैं।

1 समस्त विभागाध्यक्ष / समस्त प्राचार्य / प्राचार्या, विश्वविद्यालय संघटक एवं सम्बद्ध महाविद्यालय, जयपुर।
2 वित्त नियंत्रक एवं वित्तीय सलाहकार, राजस्थान विश्वविद्यालय, जयपुर।
3 निदेशक, इन्फोनेट सेन्टर, रा.वि.वि.,जयपुर को प्रेषित कर लेख हैं कि उक्त विज्ञप्ति को विश्वविद्यालय की वेबसाईट पर प्रसारित करने का श्रम करें।
4 जनसम्पर्क अधिकारी, रा.वि.वि. जयपुर को प्रेषित कर लेख हैं कि उक्त सूचना को विज्ञप्ति के रूप में दैनिक समाचार पत्र (दैनिक भास्कर के जयपुर व दौसा संस्करण) में प्रकाशित करवाने का श्रम करें।
5 निजी सचिव, कुलगुरु / कुलसचिव, रा.वि.वि. जयपुर।
6 समस्त उप कुलसचिव / सहायक कुलसचिव राजस्थान विश्वविद्यालय, जयपुर।
7 संबंधित कम्प्यूटर फर्म को प्रेषित कर लेख हैं कि उक्त दिशा-निर्देश को पुनर्मूल्यांकन आवेदन पत्र पोर्टल पर प्रसारित करें।
8 रक्षित पत्रावली।

सहायक कुलसचिव
(पुनर्मूल्यांकन)